बारिश से पूर्व नालों की करें एंड टू एंड सफाई : निगमायुक्त

नवभारत न्यूज

ग्वालियर, 13 मई। बारिश से पूर्व सभी नाले एवं सीवर लाइनें हर हाल में साफ हो जाएँ। यदि नाला सफाई न होने के कारण कहीं भी जल भराव होता है, तो संबंधित क्षेत्र के अधिकारी जिम्मेदार होंगे और मौके पर ही उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उक्ताशय के निर्देश नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय ने नाला सफाई एवं सीवर सफाई की समीक्षा बैठक में संबंधित अधिकारियों को दिए।

निगम मुख्यालय में आयोजित बैठक में अपर आयुक्त टी प्रतीक राव, प्रदीप तोमर, मुनीष सिकरवार, कार्यपालन यंत्री पीएचई, सहायक यंत्री पीएचई एवं स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी सहित अन्य सभी संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

निगमायुक्त ने सर्वप्रथम नाला सफाई की विधानसभा वार समीक्षा की तथा सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि उनके द्वारा जो लिस्ट संबंधित जनप्रतिनिधि को भी दी जाएगी यदि आपकी दी गई जानकारी गलत हुई तो संबंधित के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही 10 दिवस बाद पुन: समीक्षा की जाएगी। जो नाले रह गए हैं उन्हें तत्काल साफ करा लें और नाला सफाई के लिए जो भी संसाधन आवश्यक है वह वर्कशॉप एवं अन्य संबंधित अधिकारियों से समन्वय कर प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि नालों की सफाई एंड टू एंड तक होनी चाहिए। जो नाले मैनुअल होने हैं उनकी मैनुअल सफाई करायें तथा जिनकी मशीनों से होने है उनकी मशीनों से सफाई करायें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें।

विभागीय कार्यों की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश

ग्वालियर 13 मई। सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं होगी। जो अधिकारी सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण के लिए गंभीर नहीं है तथा शिकायतें अटेंड ही नहीं करते हैं। उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही समय सीमा प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही बरतने वाले एवं जनवरी से पूर्व की जितने प्रकरण समय सीमा के लंबित हैं, उन सभी अधिकारियों को नोटिस जारी किए जाऐ। उक्ताशय के निर्देश निगमायुक्त संघ प्रिय ने दिए। निगम मुख्यालय में आयोजित बैठक में अपर आयुक्त टी प्रतीक राव, प्रदीप तोमर, मुनीष सिकरवार, अपर आयुक्त वित्त रजनी शुक्ला सहित अन्य सभी संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। समीक्षा के दौरान सीएम हेल्प लाइन प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही बरतने पर नोडल अधिकारी जनकल्याण पूर्वी अग्रवाल एवं बिना सूचना अनुपस्थित रहने पर मदाखलत अधिकारी दक्षिण रवि कोरी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सीएम हेल्प लाइन शाखा की क्लर्क ममता शाक्य को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही जल प्रदाय एवं सीवर को लेकर चर्चा करते हुए गंदे पानी की शिकायतों एंव रोड रेस्टोरेशन कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। वहीं जनकार्य विभाग की समीक्षा करते हुए सभी निर्माणाधीन सड़कों की विधानसभावार प्रगति की जानकारी ली.

हॉकर्स जोन खाली कराने के विरोध में आप ने निगम कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन

नवभारत न्यूज

ग्वालियर, 13 मई। नगर निगम द्वारा नगर हॉकर्स जोन खाली कराने की कार्रवाई के विरोध में आम आदमी पार्टी ने बुधवार को नगर निगम कमिश्नर के नाम ज्ञापन सौंपकर गरीब दुकानदारों के समर्थन में आवाज उठाई। पार्टी नेताओं ने कहा कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए वर्षों से दुकान लगाकर परिवार का पालन-पोषण कर रहे गरीब दुकानदारों को हटाना अन्यायपूर्ण है। आम आदमी पार्टी ने ज्ञापन में बताया कि विधानसभा क्षेत्र 15 अंतर्गत पुलिस न्यू ऑफिस के सामने सड़क किनारे नगर निगम द्वारा नगर हॉकर्स जोन का निर्माण कराया गया था। प्रदेश उपाध्यक्ष मनीषा सिंह तोमर ने आरोप लगाया कि नगर निगम प्रशासन बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के दुकानदारों को हटाने की धमकी दे रहा है। उन्होंने कहा कि यदि इन दुकानदारों को हटाया गया तो उनके सामने रोजी-रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। संगठन मंत्री अमित शर्मा ने कहा कि सरकार गरीबों के हितों की बात करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर नगर निगम प्रशासन गरीब दुकानदारों पर लगातार दबाव बना रहा है। उन्होंने मांग की कि हॉकर्स जोन में कार्यरत सभी दुकानदारों को संरक्षण दिया जाए और उन्हें किसी भी प्रकार से परेशान न किया जाए। पार्टी नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि गरीब दुकानदारों का रोजगार उजाड़ने की कार्रवाई नहीं रोकी गई तो आम आदमी पार्टी सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को बाध्य होगी। ज्ञापन सौंपने के दौरान जिला अध्यक्ष त्रिलोचन सिंह, यूथ विंग प्रदेश अध्यक्ष विक्रम लोधी सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय दुकानदार मौजूद रहे।

सूने मकान में सेंध लगाने वाला नकबजन गिरफ्तार

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 13 मई। क्षेत्र में हुई एक बड़ी नकबजनी का खुलासा करते हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की गई सोने की चेन, अंगूठी और चांदी के पायजेब बरामद कर लिए हैं। बीती 5 मई को फरियादी अजय शंकर मित्तल ने थाना इंदरगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अज्ञात चोरों ने उनके बृज विहार कॉलोनी स्थित सूने मकान का ताला तोड़कर सोने-चांदी के जेवरात चोरी कर लिए हैं। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। थाना प्रभारी दीप्ती तोमर ने एक टीम गठित की। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। 12 मई को पुलिस को सूचना मिली कि एक संदेही न्यू शांति नगर पुल के पास खड़ा है। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आकाश माहौर (26 वर्ष), निवासी जनकगंज को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपने साथी फरमान खान और विवेक प्रजापति के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। उसने बताया कि चोरी का माल मयूर राठौर के जरिए विशाल वर्मा को बेचा गया था। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के पास से एक सोने की चेन, दो सोने की अंगूठी, एक जोड़ी चांदी की पायजेब

सामान बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी आकाश माहौर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मामले के अन्य दो फरार आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है।

माधवी राजे सिंधिया की द्वितीय पुण्यतिथि पर होंगे विविध आयोजन

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 13 मई। राजमाता माधवी राजे सिंधिया की द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर 15 मई को ग्वालियर में भव्य भजन संध्या, पुष्पांजलि सभा और विभिन्न सेवा कार्यों का आयोजन किया जाएगा। पूर्व विधायक व कार्यक्रम संयोजक रमेश अग्रवाल एवं समाजसेवी बालखाण्डे ने इन कार्यक्रमों की जानकारी साझा की है। कार्यक्रम संयोजक रमेश अग्रवाल, समाजसेवी बालखाण्डे, राम नारायण मिश्रा और जयंत जपे ने ग्वालियर की जनता से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में छत्री परिसर पहुंचकर राजमाता माधवी राजे सिंधिया को अपनी भावांजलि अर्पित करें।

भजन संध्या और सेवा कार्यों से दी जाएगी श्रद्धांजलि

राजमाता की स्मृति में शहर के अलग-अलग स्थानों पर विभिन्न सामाजिक संस्थाओं और जन प्रतिनिधियों द्वारा सेवा प्रकल्प चलाए जाएंगे, स्वर्ग सदन आश्रम (गुढ़ागुढ़ी का नाका): दोपहर 12:30 बजे हिमांशु खत्री एवं शिल्पा खत्री द्वारा पुष्पांजलि सभा एवं भोजन वितरण। सायंकाल 4 बजे पार्षद मोहित जाट द्वारा सुन्दरकाण्ड पाठ एवं भंडारा।

शिक्षा हेतु सहयोग: कोरी समाज मंदिर स्थित स्कूल में बच्चों के लिए 10 टेबल-कुर्सी एवं ब्लैक बोर्ड प्रदान किए जाएंगे। जन सुविधा: परमार्थ आश्रम में बुजुर्गों के लिए वॉटर कूलर एवं हाई मास्क लाइट लगाई जाएगी। अस्पतालों में सेवा: मंडल अध्यक्ष अमर कुटे द्वारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में और सुरेश पहलवान द्वारा 1000 बिस्तर के अस्पताल में मरीजों को भोजन वितरित किया जाएगा। गौ-सेवा: जनकताल स्थित गौशाला में पूर्व पार्षद गुड्डू वारसी, मुक्तेश जैन, रुचिका श्रीवास्तव, प्रियंका गर्ग और डॉ. नरेश देव द्वारा गायों को घास व चारा खिलाया जाएगा।

15 मई को सायंकाल 5:30 बजे 'अम्मा महाराज की छत्री' स्थित विष्णु मंदिर में भजन संध्या आयोजित होगी। इसमें प्रसिद्ध गायक अंकित कैलासिया अपनी भजनों के माध्यम से स्वरांजलि अर्पित करेंगे। रुद्राभिषेक: प्रात: 10 बजे कैलाशवासी महाराज माधवराव सिंधिया की छत्री स्थित शिवालय पर विशेष अभिषेक किया जाएगा।

धर्म गुरुओं का होगा सम्मान-कार्यक्रम में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश करते हुए विभिन्न धर्मों के गुरुओं को शॉल एवं श्रीफल देकर सम्मानित किया जाएगा। सम्मानित होने वाले गुरुओं में संत कृपाल सिंह महाराज, शहर काजी अब्दुल अजीज कादरी, ढोली बुआ महाराज, महामंडलेश्वर रमेशलाल महाराज, सरदार बलजीत सिंह, फादर संजय भौसले आदि नाम शामिल हैं।

जीएसटी कमेटी की बैठक में एमपीसीसीआई अध्यक्ष ने वर्चुअली लिया भाग

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 13 मई। म. प्र. जीएसटी शिकायत निवारण कमेटी की इन्दौर में हुई बैठक में जीएसटी विसंगतियों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए,

बैठक में ग्वालियर में जीएसटी कमिश्नरेट खोले जाने की माँग को दोहराया

अध्यक्ष-डॉ. प्रवीण अग्रवाल ने कहा कि सरकार ने स्कूल कॉपी, रजिस्टर को जीएसटी मुक्त किया है, लेकिन पेपर के ऊपर जीएसटी 12 प्रतिशत से 18 प्रतिशत कर दिया है, जिससे कॉपी महंगी हो गई है, वहीं जो करदाताओं को कारण ाबताओ नोटिस दिए जाते है, वह समय-सीमा के अंतिम समय में दिए जाते है और उसके निराकरण की सीमा भी निर्धारित है, जिसकी वजह से अधिकारी स्वयं दबाव में रहकर मात्र खाना पूर्ति करते हैं, इसका परिणाम है कि लगभग 70 प्रतिशत ऐसे आदेश अपील में बदल जाते हैं लेकिन अपील करने के लिए करदाता को 10 फीसदी जमा करना होता है, जिससे उसको मानसिक एवं आर्थिक शोषण होता है।

डॉ. प्रवीण अग्रवाल ने प्रमुखता से बात रखते हुए कहा कि उनके प्रस्ताव पर इस कमेटी में ग्वालियर में जीएसटी कमिश्नरेट खोले जाने का प्रस्ताव रखा था और सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित भी हुआ था, उसको पुन: सरकार के पास भेजा जाना चाहिए। अध्यक्ष-डॉ. प्रवीण अग्रवाल के द्वारा उठाए गए बिन्दुओं पर म. प्र. छत्तीसगढ़ के सीजीएसटी प्रमुख आयुक्त मानस रंजन मोहंती ने कहा कि ग्वालियर में जीएसटी कमिश्नरेट खुलने का प्रस्ताव बनाकर सरकार के पास भेज दिया गया है, वहीं अन्न बिन्दुओं पर भी जो निर्णय समिति के द्वारा लिए जाना है, वह समिति लेगी और जो प्रस्ताव सरकार तक जाना है, उनका भी अध्ययन कर उचित निर्णय लेंगे। डॉ. प्रवीण अग्रवाल का बैठक में सहयोग एमपीसीसीआई के जीएसटी उपसमिति के संयोजक दीपक वाजपेयी ने किया।

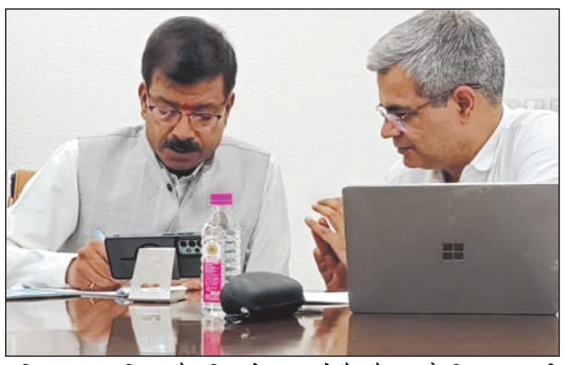

एफआईआर को कारगर एवं पारदर्शी बनाया

माधव लॉ कॉलेज में एडवोकेट लेक्चर सीरिज

ग्वालियर। माधव विधि महाविद्यालय द्वारा आज एडवोकेट लेक्चर सीरीज के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत सम सूचना रिपोर्ट के अंतर्गत क्या-क्या मुख्य परिवर्तन किए गए, इसके संबंध में व्याख्यान का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अतुल शर्मा, शासकीय अधिवक्ता मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर द्वारा उद्बोधन दिया गया। छात्र-छात्राओं को बताया गया कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में जो नया वर्जन आया है, वह जेंडर फ्री है जिसके अंतर्गत आईटी एक्ट को समाहित करते हुए एफआईआर को और कारगर बनाया गया है। इस बात पर भी विशेष ध्यान दिया गया है कि फिर लिखते समय उसको त्वरित समय में डिटेल माध्यम से पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा, उनके द्वारा एफआईआर की प्रति में जितने कॉलम होते हैं, उनका क्या महत्व है, इस पर भी बताया गया। यह भी बताया गया कि जीरो एफआईआर कब लिखी जाती है, एवं देहाती नालीसी में क्या मुख्य अंतर होता है, इसके साथ-साथ किस प्रकार से जीरो फिर किसी भी जगह करने के पश्चात घटना वाले क्षेत्र पर अंतरित की जाती है, उसके बारे में विशेष जानकारी दी। यह भी बताया कि एफआईआर संज्ञेय अपराध में ही लिखी जाती है और पुलिस को उस अपराध के संबंध में तथ्य इकट्ठे करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। आभार प्रदर्शन डॉ राजेंद्र सिंह धाकड़ द्वारा किया गया।

रतन ज्योति नेत्रालय में यशपाल कपूर का नेत्रदान

ग्वालियर। गत दिवस श्रुति एनक्लेव, ग्वालियर निवासी 63 वर्षीय यशपाल कपूर के निधन उपरांत उनकी अंतिम इच्छा के अनुरूप उनके नेत्र रतन ज्योति नेत्रालय स्थित स्वामी विद्यानंद भारती आई बैंक को दान किए गए। इस संबंध में उनके पारिवारिक मित्र अभय गर्ग एवं निधि गर्ग द्वारा आई बैंक को सूचना दी गई, जिसके पश्चात आई बैंक की टीम ने तत्परता से पहुंचकर यशपाल कपूर के पुत्र ऋषभ कपूर से संपर्क कर सफलतापूर्वक नेत्र आहरण की प्रक्रिया पूर्ण की। रतन ज्योति नेत्रालय के डायरेक्टर डॉ. पुरेंद्र भसीन, डॉ प्रियंवदा भसीन एवं कॉर्निया विभाग के प्रभारी डॉ. शशांक गुप्ता ने नेत्रदाता परिवार के प्रति गहरा आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नेत्रदान मानवता की सबसे महान सेवाओं में से एक है। उन्होंने शहरवासियों से भी इस पुनीत अभियान में सहयोग करने की अपील की, ताकि कॉर्नियल अंधत्व से पीड़ित जरूरतमंद मरीजों को नई रोशनी प्रदान की जा सके।

नाम परिवर्तन सूचना

मुझ प्रार्थीनी का सही नाम **भूरीबाई (BHURIBAI)** है जो कि मेरे खसरा, समग्र आईडी और आदि दस्तावेजों में दर्ज है। आधार कार्ड में मेरा घरु नाम **गीता** है। **गीता** और **भूरीबाई** दोनों ही नाम मुझ एक ही महिला के है। अत: इस सूचना प्रकाशन उपरांत मेरे आधार कार्ड एवं समस्त शासकीय / अशासकीय दस्तावेजों और आदि में मेरा नाम **गीता (GEETA)** के स्थान पर **भूरीबाई (BHURIBAI)** दर्ज किया जावे व भविष्य में मुझे **भूरीबाई (BHURIBAI)** के नाम से जाना पहचाना व पढ़ा लिखा जाये।

पुराना नाम- गीता (GEETA)
नया नाम-भूरीबाई (BHURIBAI) पति श्री विजेन्द्र सिंह (VIJENDRA SINGH)
निवासी ग्राम गडाजर, पिपरसेवा, मुरैना
म.प्र-476444

नाम परिवर्तन सूचना

मुझ प्रार्थीनी का सही नाम **रश्मी (RASHMI)** है जो कि मेरे जन्मप्रमाण पत्र, मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र और आदि दस्तावेजों में दर्ज है। आधार कार्ड में मेरा घरू नाम **रोशनी कुशवाह** है। **रोशनी कुशवाह** और **रश्मी** दोनों ही नाम मुझ एक ही व्यक्ति को है। अत: इस सूचना प्रकाशन उपरांत मेरे आधार कार्ड एवं समस्त शासकीय / अशासकीय दस्तावेजों और आदि में मेरा नाम **रोशनी कुशवाह (ROSHANI KUSHWAH)** के स्थान पर **रश्मी (RASHMI)** दर्ज किया जावे व भविष्य में मुझे **रश्मी (RASHMI)** के नाम से जाना पहचाना व पढ़ा लिखा जाये।

पुराना नाम
रोशनी कुशवाह (ROSHANI KUSHWAH)
नया नाम- रश्मी (RASHMI)
पिता श्री संजय सिंह कुशवाह (SANJAY SINGH KUSHWAH)
पार्क कॉलोनी बी टी आई भिण्ड निवासी लहार भिण्ड म.प्र.-477001

CHANGE OF NAME & DOB

I, RAVINDER (Unit-13 JAK RIF) Army Number-13778029F Rank- NK Son of SHYAM SINGH CHAUHAN presently residing at Village- Bella, Post- Bella, Tehsil-Shillai, Dist.-Sirmour, State- Himachal Pradesh, Pincode - 173027 (Address) inform that, I have changed my father's name and Date of birth from SHYAM SINGH (DOB 10.12.1971) to SHYAM SINGH CHAUHAN (DOB 15.09. 1972) vide Affidavit. No. BX 606872 Dated- 11.05.2026 Gwalior

संबंध विच्छेद आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं संतोष शर्मा पुत्र स्व. श्री बाबूलाल शर्मा, निवासी- शिव धर्मशाला के पास, गदाईपुरा, ग्वालियर का हूँ और मेरे तीन पुत्र हैं जिसमें बड़ा पुत्र गौरव शर्मा जिसका संग-सौहबत गड़बड़ हो गई है तथा वह घर परिवार में किसी की बात नहीं मानता है, आई.पी.एल. में सट्टे का काम प्रारम्भ किया है जिससे कर्जा कर लिया गया है, घर में बिना किसी से पूछे वाहन को गिरवी रख दिया है। पुत्र गौरव शर्मा की आदतों से पूरा घर परेशान है, इससे दुखित होकर मैं अपने पुत्र गौरव शर्मा को अपनी समस्त चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल करता हूँ और अपने सम्बन्ध विच्छेद करते हुए अपने समस्त सामाजिक, पारिवारिक रिश्ते समाप्त करता हूँ। मेरा अब पुत्र गौरव शर्मा से कोई सम्बन्ध नहीं रहा है। भविष्य में गौरव शर्मा किसी प्रकार का कोई गलत कदम उठाता है, वह अपना किसी से लेनदेन, संव्यवहार रखता है तो ये अपने कृत्य का स्वयं जिम्मेदार होगा। मैं और मेरा परिवार कोई जिम्मेदार नहीं होगा। सूचित हो। इति दिनांक-13.05.2026

भवदीय- **संतोष शर्मा**
पुत्र स्व. श्री बाबूलाल शर्मा
निवासी- शिव धर्मशाला के पास, गदाईपुरा, ग्वालियर
(आधार नं. 9270 5441 8501)
द्वारा अभिभाषक-
सरनाम सिंह तोमर (एडवोकेट)
कार्यालय- तानसेन रोड, ग्वालियर

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला ग्वालियर (म.प्र.)

ओहदपुर, सिरोल रोड, ग्वालियर पिन-474006
ए.डी.एमम.वि.अधि./विवाह पंजी 1954 (58) 2026
ग्वालियर दिनांक 07 मई, 2026

// विज्ञप्ति //

विषयान्तर्गत इस कार्यालय के समक्ष आवेदकगण डॉ. श्री दिनेश कुमार उदैनिया पुत्र श्री केशव प्रसाद एवं डॉ. श्रीमती आकांक्षा उदैनिया पत्नी डॉ. श्री दिनेश कुमार उदैनिया निवासी एम-121ए, माधव नगर कालोनी झांसी रोड ग्वालियर म.प्र. द्वारा विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 15 के अन्तर्गत उनके मध्य हिन्दू रीति रिवाज से स्थान उत्सव वाटिका ग्वालियर में दिनांक 20.11.2000 को सम्पन्न हुये विवाह को रजिस्ट्रीकृत किये जाने हेतु हिन्दु विवाह अधिनियम 1954 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। 2/ यदि किसी भी व्यक्ति को इस विवाह के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई शिकायत और आपत्ति हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन दिनांक से तीस दिवस के अन्दर अपनी आपत्ति या शिकायत अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं विवाह अधिकारी, ग्वालियर, 474006, मध्यप्रदेश, के कार्यालय के कक्ष क्रमांक 203 में दर्ज करा सकते हैं। नियत तिथि व्यतीत होने के पश्चात प्राप्त किसी भी प्रकार की शिकायत / आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी। मेरे हस्ताक्षर तथा पदमुद्रा से जारी किया गया।

अपर जिला मजिस्ट्रेट
एवं विवाह अधिकारी
जिला ग्वालियर म.प्र.

न्यायालय- संजय कुमार गुप्ता, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक 153/2026 एच.एम.ए

फतेह सिंह ....आवेदक
बनाम
श्रीमती काजल गुर्जर ....अनावेदिका

बनाम- अनावेदिका श्रीमती काजल गुर्जर पत्नि श्री फतेह सिंह पुत्री श्री राजकुमार सिंह, निवासी- ग्राम गडोरा थाना सराय छोला जिला मुरैना म०प्र० हाल निवासी- एंदल सिंह कंसाना की कोठी के पास, कृष्णा नगर, मुरैना म०प्र० पिन कोड 476001

।। सूचना पत्र ।।

यहकि, आवेदक फतेह सिंह गुर्जर पुत्र श्री हरिकंठ सिंह उम्र 35 वर्ष निवासी - ग्राम तुरारी, जिला ग्वालियर हाल निवासी - न्यू पारस विहार, चन्द्रवदनी का नाका, लश्कर, ग्वालियर म०प्र० के द्वारा आपके विरुद्ध इस न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 13ए हि.वि.अधि के तहत प्रस्तुत की गई है।

अतः जरिये सूचना पत्र से आप अनावेदिका श्रीमती काजल गुर्जर को सूचित किया जाता हैं कि इस संबंध में अपना जवाब इस न्यायालय में नियत पेशी दिनांक - 02/07/2026 को प्रातः 11:00 बजे व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। अनुपस्थिति की दशा में आपके विरुद्ध वैद्यानिक / एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर प्रकरण का निराकरण किया जावेगा। यदि नियत दिनांक को न्यायालय अवकाश घोषित हो जाता हैं अथवा पीठासीन अधिकारी अवकाश पर रहते हैं तो प्रकरण की सुनवाई आगामी कार्य दिवस पर की जावेगी।

आज दिनांक - 08.05.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(संजय कुमार गुप्ता)
द्वितीय अति. प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय ग्वालियर म०प्र०

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पक्षकारा श्रीमती किरन सेही पत्नी स्व. श्री विजय सेही उक्त अचल सम्पत्ति प्लॉट क्र. 31 स्थित ग्राम अजयपुर जिला ग्वालियर में है। जो कि सर्वे क्र. 355/2, 356, 357, 358/1 का भाग 800 वर्गफुट है। जिसका म्यु. वार्ड क्र. 65 है, जो मेरी पक्षकारा ने विक्रय अनुबंध पत्र के तहत क्रय करना स्वीकार किया। मेरी पक्षकारा के विक्रेतागण अल्का डोगरा पत्नी स्व. श्री विजय सिंह एंव कृतिका पुत्री स्व. श्री विजय सिंह द्वारा के सहभूस्वामी हितेश डोगरा पुत्र स्व. श्री विजय सिंह डोगरा की काश्त की कृषि भूमि खसरे में संयुक्त भूमि राजस्व अभिलेख मे भूमि स्वामी की हैसियत से दर्ज होकर चली आ रही। मेरी पक्षकारा के द्वारा किये विक्रय अनुबंध पत्र के तहत चतुरसीमा निम्नानुसार है:-पूर्व में - प्लॉट क्र. 28, पश्चिम में-रोड, उत्तर में-प्लॉट क. 32, दक्षिण में-प्लॉट क्र. 30 जिसका कुल क्षेत्रफल 800 वर्गफुट है। मेरी पक्षकारा के विक्रेतागण अल्का डोगरा पत्नी स्व. श्री विजय सिंह एंव कृतिका पुत्री स्व. श्री विजय सिंह द्वारा मु. आम हितेश डोगरा पुत्र स्व. श्री विजय सिंह डोगरा के द्वारा उक्त अचल संपत्ति प्लॉट क्र. 31 मेरी पक्षकारा श्रीमती किरन सेही पत्नी स्व. श्री विजय सेही को विक्रित किये जाने बावत अगर किसी व्यक्ति, बैंक, संस्था, निगम, शासकीय, अशासकीय विभागों या प्राईवेट फायनेंश को कोई या विक्रेतागण के सहभूस्वामी हितेश डोगरा पुत्र स्व. श्री विजय सिंह डोगरा को कोई उज्र व आपत्ति हो तो मय सबूत के नीचे पते पर 07 दिवस के अन्दर उपस्थित होकर आपत्ति पेश करे वरना म्याद गुजरने के बाद कोई उज्ज व आपत्ति मान्य व स्वीकार नहीं होगी और मेरी पक्षकारा श्रीमती किरन सेही पत्नी स्व. श्री विजय सेही अचल संपत्ति प्लॉट क्र. 31 कुल क्षेत्रफल 800 वर्गफुट को क्रय करने बावत हाउसिंग लोन की सुविधा आई. सी. आई. सी. आई. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड सिटी सेंन्टर ग्वालियर से आवंटित करा रही है। जो सुचित हो।

दिनांक-13.05.2026
स्थान-ग्वालियर

भवदीय
संजय बाकलीवाल एडवोकेट
चिक संतर मुरार ग्वालियर
मो. 9300981954

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पक्षकारा श्रीमती फूलश्री जाटव पत्नी श्री सुरेन्द्र सिंह जाटव की उक्त अचल सम्पत्ति भवन स्थित वार्ड क्र. 24 मौहल्ला सरसई का पुरा, तारी का पुरा जिला भिण्ड में है। जो कि सर्वे क्र. 3574 का भाग कुल क्षेत्रफल 900 वर्गफुट है, जो मेरी पक्षकारा की क्रयशुदा सम्पत्ति है। मेरी पक्षकारा के विक्रेता श्रीमती रामदाकेली देवी पत्नी श्री ओछेलाल जाटव की क्रयशुदा सम्पत्ति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दस्तावेज क्र. 719 तारीखी 25.06.1991 में बाबूराम पुत्र श्री रामनाथ गुप्ता, जोधा सिंह पुत्र श्री धीमन सिंह, विद्याराम दस्तक पुत्र श्री बद्रीप्रसाद के द्वारा सम्पादित किया। मेरी पक्षकारा की क्रयशुदा सम्पत्ति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के तहत चतुरसीमा निम्नानुसार है:- पूर्व में -गली, पश्चिम में-गली उत्तर में-मकान रामसिया, दक्षिण में-मकान छोटेलाल जिसका कुल क्षेत्रफल 900 वर्गफुट है। लेकिन मेरी पक्षकारा के विक्रेता श्रीमती रामदाकेली देवी पत्नी श्री ओछेलाल जाटव की क्रयशुदा सम्पत्ति असल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मेरी पक्षकारा से कही गुम हो गया जो कि काफी तलाशने पर भी नहीं मिला। उक्त अचल सम्पत्ति भवन आदित्य बिरला हाउसिंग फायनेंश लिमिटेड ग्वालियर में बंधक की गई है। इसके आलावा अगर किसी व्यक्ति, बैंक, संस्था, निगम, शासकीय, अशासकीय विभागों या प्राईवेट फायनेंश को मेरी पक्षकारा के विक्रेता श्रीमती रामदाकेली देवी पत्नी श्री ओछेलाल जाटव की क्रयशुदा सम्पत्ति असल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मिल जाता है। तो नीचे पते पर 7 दिवस के अन्दर सूचित करे और मेरी पक्षकारा अचल संपत्ति भवन का कुल क्षेत्रफल 900 वर्गफुट पर हाउसिंग लोन की सुविधा पी. एन. बी. एच. एफ. एल. ग्वालियर से आवंटित करा रही है। जो सुचित हो।

दिनांक-13.05.2026
स्थान-ग्वालियर

भवदीय
संजय बाकलीवाल, एडवोकेट
चिक संतर मुरार ग्वालियर
मो. 9300981954

आम सूचना

जिज्ञासा गुर्जर पुत्री श्री उदयवीर गुर्जर के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भूखण्ड क्र.41 (सम्पूर्ण) एवं भूखण्ड क्र.40 का भाग, स्थित गुरूकृपा नगर फेस-2, बाबा साहनपुर, ग्राम साहनपुर, तहसील एवं जिला ग्वालियर (म.प्र.) में है जो नगर निगम ग्वालियर वार्ड क्र.62 में स्थित है जो भूमि सर्वे क्र.68 ग्राम साहनपुर का भाग है एवं जिसका क्षेत्रफल 1000 वर्गफुट है और जिसकी चर्तुसीमा निम्न प्रकार है:- पूर्व में-रास्ता 25 फुट चौड़ा, पश्चिम में-भूखण्ड क्र.12 एवं 13 का भाग, उत्तर में-भूखण्ड क्र.42 एवं दक्षिण में-भूखण्ड क्र.40 एवं 39 का भाग है। उक्त सम्पत्ति एवं संलग्न अन्य सम्पत्ति पूर्व में श्री उदयवीर सिंह पुत्र श्री मेहरबान सिंह एवं अन्य के संयुक्त स्वत्व स्वामित्व की थी। श्री उदयवीर सिंह का स्वर्गवास हो जाने के उपरांत, उनके उत्तराधिकारी श्रीमती राजकुमारी पत्नी स्व. श्री उदयवीर सिंह, श्री मयंक पुत्र स्व. श्री उदयवीर सिंह, जिज्ञासा (नाबालिग), नेन्सी (नाबालिग) एवं प्राची (नाबालिग) पुत्रियां स्व. श्री उदयवीर सिंह उनकी सम्पत्ति की मालिक हुई एवं भू-राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम इंद्राज कराया गया। जिज्ञासा अब व्यस्क हो गई है। जिज्ञासा गुर्जर द्वारा उक्त सम्पत्ति को विक्रय किये जाने हेतु श्रीमती निक्की भदौरिया पुत्री श्री सुनील सिंह भदौरिया पत्नी श्री अनूप सिंह तोमर के पक्ष में एक लिखतम विक्रय अनुबन्ध पत्र सम्पादित किया जा चुका है एवं रजिस्टर्ड विक्रय विलेख सम्पादित किया जाना शेष है। श्रीमती निक्की भदौरिया द्वारा उक्त सम्पत्ति को क्रय किये जाने हेतु मेरे पक्षकार आदित्य बिड़ला हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय एवं उक्त सर्वे क्रमांक के अन्य सहस्वामियों को एवं श्री उदयवीर सिंह के अन्य उत्तराधिकारियों को उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एवं अन्य प्रकार के हित-निहित होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृपया सूचित हो।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या.-भवन क्र. 52, कैलाश विहार, फैडरल बैंक के पास सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.), मो.नं. 98276-72710

नामांकन विज्ञप्ति / आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है नगर निगम ग्वालियर के क्षेत्र अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षे. क्रं. 22 वार्ड क्रं. 62, भवन क्रं. .., स्थान: 01, साँई लोचन दास कॉलोनी फेस-2, सैंथरी पर स्थित है जो कि श्री/श्रीमती दौलतराम / श्री फेरन सिंह के नाम से नगर निगम में आई.डी. क्रं. .. पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 1125 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र क्र. A1044721 दिनांक 21.01.2025 के द्वारा प्राप्त किया गया है उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र खुरैरी क्षे. क्रं. 22 पर दिनांक 16.04.2026 को किया गया है जिसका आवेदन कार्य. क्रं. 87/2015/21898/21635/ प्र.क्रं.*3/11 है उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर, सिटी सेन्टर में स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियम अवधि पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम/पता
अशोक शर्मा / श्री सीताराम शर्मा
पता: 01, साँई लोचन दास कॉलोनी फेस-2, सैंथरी, वार्ड-62
विज्ञप्ति जारी दिनांक: 21-04-2026

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना भवन स्वामी द्वारा जारी

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी सम्पत्ति क्षेत्र क्रमांक 17 वार्ड क्रमांक 38 व स्थान- बेलदारपुरा में स्थित है जो कि राधेलाल सक्सेना / हरबंस लाल सक्सेना के नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक 1004497918 पर दर्ज है / नहीं है जिसका क्षेत्रफल 675 वर्गफुट है. उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक एमपी21/जीआर17402026ए100437517 दिनांक 09/04/26 द्वारा क्रय/ उत्तराधिकार से प्राप्त/वसीयतनामा से प्राप्त किया गया है. उक्त सम्मत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अन्तर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र ढोली बुआ का पुल दिनांक 06/5/2026 को किया गया है. जिसका कार्य क्रमांक 71/2010/58882/59074 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति में सुसंलग्न दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक 13-5-2026
आवेदक का नाम/पता/मो.नं.
शिवानी रजक/अनिल रजक
पता- बेलदारपुरा, ग्वालियर म.प्र.,
मोब-9244509897

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना भवन स्वामी द्वारा जारी

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी सम्पत्ति क्षेत्र क्रमांक 03 वार्ड क्रमांक 08 व स्थान- चौड़े के हनुमान नगर में स्थित है जो कि भगवान सिंह /छीतर सिंह वैश्य के नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक 9000236260 पर दर्ज है / नहीं है जिसका क्षेत्रफल 800 वर्गफुट है. उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक ... दिनांक ... द्वारा क्रय/ उत्तराधिकार से प्राप्त/वसीयतनामा से प्राप्त किया गया है. उक्त सम्मत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अन्तर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र लूटपुरा दिनांक 12/5/2026 को किया गया है. जिसका कार्य क्रमांक 75/2011/55329/55249 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति में सुसंलग्न दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक 13-5-2026
आवेदक का नाम/पता/मो.नं.
शिवप्यारी/विश्राम सिंह सौलंकी
पता- चौड़े के हनुमान नगर, ग्वालियर म.प्र.,
मोब-8126145303

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना भवन स्वामी द्वारा जारी

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी सम्पत्ति क्षेत्र क्रमांक 03 वार्ड क्रमांक 08 व स्थान- गदाईपुरा, चौड़े के हनुमान नगर में स्थित है जो कि नरोत्तम सिंह/हरी सिंह के नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक 9000236261 पर दर्ज है / नहीं है जिसका क्षेत्रफल 665 वर्गफुट है. उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक ... दिनांक ... द्वारा क्रय/ उत्तराधिकार से प्राप्त/वसीयतनामा से प्राप्त किया गया है. उक्त सम्मत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अन्तर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र लूटपुरा दिनांक 12/5/2026 को किया गया है. जिसका कार्य क्रमांक 75/2011/55330/55250 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति में सुसंलग्न दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक 13-5-2026
आवेदक का नाम/पता/मो.नं.
कुन्ता देवी/अर्जुन सिंह
पता- गदाईपुरा, चौड़े के हनुमान नगर, ग्वालियर म.प्र.
मोब-7747958624

KOLHAPUR MUNICIPAL CORPORATION

Tender Notice No. 18 Date 13/05/2026

This is with reference to above mention tender notice for following work

Empanelment of Consultants for various Projects in Kolhapur.

For above Tender submission dates as follows -

Start date of Submission of Tender Documents	:- 14/05/2026 at 4.00 p.m.
Last date of Submission of Tender Documents	:- 04/06/2026 at 3.00 p.m.
Pre-Bid meeting	:- 21/05/2026 at 12.00 p.m.
Opening of Tender Documents	:- 04/06/2026 at 3.30 p.m.

Details available on www.mahatenders.gov.in

Sd/-
City Engineer
Kolhapur Municipal Corporation